भाग-III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 जून, 2011

संख्या का०आ० 55/ह०अ० 6/2003/धा० 24/2011.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से राज्य में अनाज प्राप्त कर रही प्रत्येक सरकारी एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या निगम ऐसे अनाज के लिए समय-समय पर नियत न्यूनतम समर्थन कीमत (बोनस सहित या उसके बिना), कमीशन एजेंट को, अनाज के विक्रय के लिए मूल्यवान प्रतिफल के रूप में, चाहे नकदी, समायोजन, खाते में जमा, देयों की वसूली द्वारा या किसी अन्य रीति में भुगतान करते समय, ऐसे भुगतान के लिए किसी रीति में भुगतान की गई राशि के पांच प्रतिशत की दर पर संगणित अग्रिम में कर की कटौती करेगा।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।